क्रम-संख्या-118

रजिस्ट्रेशन नम्बर–जी0–11/लाई0–
न्यूज पेपर/91/05–06
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग—1, खण्ड (क)
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 01 जून, 2006
ज्येष्ठ 11, 1928 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 529/सात-वि–1–01(क) 17-2006
लखनऊ, 01 जून, 2006

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2006 पर दिनांक 31 मई, 2006 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18 सन् 2006 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिनियम द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2006

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18 सन् 2006)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्तावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम

1–यह अधिनियम उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2006 कहा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23 सन् 2000 की धारा 2 का संशोधन

2--उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 में, खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाएगा, अर्थात् :--

"(क) 'विद्यालय' का तात्पर्य विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किसी महाविद्यालय या किसी संस्था से है और उसके अन्तर्गत धारा 26-क, 26-ख और 26-ग के अधीन निर्दिष्ट क्रमशः स्वायत्त महाविद्यालय, घटक महाविद्यालय और सहयुक्त महाविद्यालय भी होंगे ;"

नई धारा 26-क, 26-ख और 26-ग का बढ़ाया जाना

3--मूल अधिनियम की धारा 26 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाएंगी, अर्थात् :--

स्वायत्त महाविद्यालय

"26-क (1) विश्वविद्यालय किसी सम्बद्ध महाविद्यालय को, जो इस निमित्त विहित शर्तों को पूरा करे, स्वायत्त महाविद्यालय के विशेषाधिकार, ऐसी रीति से जैसी विहित की जाय, प्रदान कर सकेगा। ऐसा महाविद्यालय उसमें शिक्षण प्राप्त करने वाले छात्रों के लिए विश्वविद्यालय द्वारा विहित पाठ्यक्रमों में परिवर्तन कर सकेगा और इस प्रकार परिवर्तित पाठ्यक्रमों में परीक्षा ले सकेगा।

(2) पाठ्यक्रमों में परिवर्तन कर सकने की सीमा तथा ऐसे महाविद्यालय द्वारा संचालित परीक्षाएं लेने की रीति प्रत्येक मामले में विश्वविद्यालय द्वारा अवधारित की जायेगी।

(3) ऐसा महाविद्यालय ऐसी रीति से जैसी विहित की जाय स्वायत्त महाविद्यालय घोषित किया जायेगा।

घटक महाविद्यालय

26-ख (1) घटक महाविद्यालय ऐसे होंगे जैसा विश्वविद्यालय द्वारा अभिहित किया जाय।

(2) किसी घटक महाविद्यालय का प्रधानाचार्य महाविद्यालय में अभ्यावेशित छात्रों के अनुशासन के लिये उत्तरदायी होगा और घटक महाविद्यालय को आवंटित किये गये लिपिक वर्गीय एवं अवर वर्गीय कर्मचारिवृन्द पर सामान्य नियन्त्रण रखेगा। वह ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा जैसी विनियमों द्वारा विहित की जाय और जो प्रधानाचार्य के लिए विनिर्दिष्ट हों।

सहयुक्त महाविद्यालय

26-ग (1) सहयुक्त महाविद्यालय या तो राजकीय महाविद्यालय होगा या राजकीय समिति महाविद्यालय होगा। ऐसे महाविद्यालय को विश्वविद्यालय द्वारा सहयुक्त महाविद्यालय के रूप में अभिहित किया जा सकेगा।

(2) किसी सहयुक्त महाविद्यालय के लिए यह विधिसम्मत होगा कि वह किसी अन्य सहयुक्त महाविद्यालय या विश्वविद्यालय के साथ शिक्षण के क्षेत्र में सहयोग के लिए व्यवस्था करे।"

नई धारा 36-क का बढ़ाया जाना

4--मूल अधिनियम की धारा 36 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थात्:--

निदेश जारी करने की राज्य सरकार की शक्ति

"36-क--राज्य सरकार समय-समय पर विश्वविद्यालय को नीति विषयक मामलों पर ऐसे निदेश जारी कर सकेगी जिन्हें वह आवश्यक समझे और जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो। ऐसे निदेशों का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा किया जायगा।"

उद्देश्य और कारण

राज्य में तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने की दृष्टि से यह विनिश्चय किया गया है कि उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 को संशोधित करके विश्वविद्यालय को किसी सम्बद्ध महाविद्यालय को स्वायत्त महाविद्यालय के विशेषाधिकार प्रदान करने, किसी महाविद्यालय को घटक महाविद्यालय या सहयुक्त महाविद्यालय के रूप में अभिहित करने के लिए सशक्त करने और राज्य सरकार को विश्वविद्यालय को नीति विषयक मामलों पर निदेश देने के लिए सशक्त करने की व्यवस्था की जाय।

तदनुसार उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2006 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से
राम हरि विजय त्रिपाठी,
प्रमुख सचिव।

UTTAR PRADESH SARKAR
VIDHAYI ANUBHAG-I

No. 529/VII-V-1-1(Ka) 17-2006
Dated Lucknow, June 01, 2006

NOTIFICATION

MISCELLANEOUS

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Pravidhik Vishwavidyalaya (Sanshodhan) Adhiniyam, 2006 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 18 of 2006) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on May 31, 2006.

THE UTTAR PRADESH TECHNICAL UNIVERSITY (AMENDMENT) ACT, 2006

(U.P. Act no. 18 of 2006)

[*As passed by the Uttar Pradesh Legislature*]

AN
ACT

further to amend the Uttar Pradesh Technical University Act, 2000

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-seventh Year of the Republic of India as follows :—

Short title

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Technical University (Amendment) Act, 2006.

Amendment of section 2 of U.P. Act no. 23 of 2000

2. In section 2 of the Uttar Pradesh Technical University Act, 2000 hereinafter referred to as the principal Act, for clause (a) the following clause shall be *substituted*, namely :—

"*(a)* 'college' means a college or an institution affiliated to the University and shall include an autonomous college, constituent college and associated college referred to under sections under sections 26-A, 26-B, and 26-C respectively;"

Insertion of new section 26-A, 26-B and 26-C

3. *After* section 26 of the principal Act the following section shall be *inserted*, namely:–

"26-A (1) The university may grant, in such manner as may be prescribed, to an affiliated college which satisfies the conditions prescribed in that behalf, the privileges of an autonomous college. Such college may vary for the students receiving instruction therein, the courses of study prescribed by the University, and hold examinations in the courses so varied.

Autonomous Colleges

(2) The extent to which the courses may be varied and the manner of holding the examinations conducted by such college shall be determined in each case by the University.

(3) Such a college shall be declared as an autonomous college in such manner as may be prescribed.

26-B (1) Constituent colleges shall be such as may be named by University.

Constituent Colleges.

(2) The Principal of a constituent college shall be responsible for the discipline of the students enrolled in the college and shall have general control over the ministerial and inferior staff allotted to the constituent college. He shall exercise such other powers as may be prescribed by the regulation specific to the powers of Principal.

26-C (1) An associated college shall either be a Government college or a Government society college. Such college may be named by the University as associate college.

Associated Colleges

(2) It shall be lawful for an associated college to make arrangements with any other associated college or with the University for co-operation in the field of teaching."

Insertion of new section 36-A

4. *After* section 36 of the principal Act the following section shall be *inserted*, namely :–

"36-A The State Government may issue such directions from time to time to the University on policy matters, not in consistent with the provisions of this Act, as it may deem necessary. Such directions shall be complied with by the University."

Power of the State Government to issue direction

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

With a view to improving the quality of technical education in the State it has been decided to provide for empowering the University to grant an affiliated college the privileges of an autonomous college, to designate a college as the constituent college or the associated college and for empowering the State Government to issue directions on policy matters to the University by amending the Uttar Pradesh Technical University Act, 2000.

The Uttar Pradesh Technical University (Amendment) Bill, 2006 is introduced accordingly.

By order,

RAM HARI VIJAY TRIPATHI,

Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी० ए० पी० 267 राजपत्र (हि०)–(412)–2006–597(कम्प्यूटर/आफसेट)।

पी० एस० यू० पी०–ए० पी० 39 सा० विधायी–(413)–2006–850 प्रतियां–(कम्प्यूटर/आफसेट)।